(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22 / 2019 दायर दिनांक: 30.05.2019

उनवान

1. घनश्याम आत्मज नैनालाल जाति ब्राह्मण नि.सामिया तहसील सुनेल

वादी

बनाम

1. सत्येन्द्रकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि.सामिया तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति –

वकील वादी – श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री सुभाष दांगी

निर्णय **दिनांक : 15.07.2025**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 14.06.1972 के अनुसार ग्राम पंचायत गादिया के अनुसार खातेदार नैनालाल आ० हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सामिया के फौत होने पर ग्राम सामिया के खाता सं. 58 किता 5 रकबा 48–10 बीघा वादी के नाम नामान्तरित हुई। नकल नामान्तकरण तथा पूर्व की नकल जमाबंदी संवत् 2015–2018 एवं संवत् 2022–2025 संलग्न हैं तथा इस आराजी के संबंध में नकल नक्शा भी संलग्न हैं। यह कि जमाबंदी सम्वत् 2049–52 के खाता संख्या 23 किता 5 रकबा 48–10 उक्त वर्णित आराजी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। यह कि वादपत्र के चरण कम 1 तथा 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी के नाम वादी के पिता के खातेदारी में से आई है किन्तु प्रतिवादी ने तथा राधेश्याम ने इस आराजी को धोखे से शामलाती आराजी बताकर अपने नाम करवा ली। न्यायहित में पूर्व राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी संवत् 2015–2018 एवं संवत् 2022–2025 जमाबंदी [illegible]49–52, नकल नामांतकरण ग्राम गादिया नामान्तकरण संख्या 14 [illegible] का पटवारी के प्रमाणपत्र दिनांक 05.10.98 के अनुसार उक्त आराजी [illegible] तथा वादीगण के

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पिता की एकमात्र खातेदारी में थी जिसका प्रतिवादी का, उसके पिता का किसी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही दर्शित नहीं है फिर भी वह वर्तमान में वादग्रस्त आराजी को अपने नाम 1/2 भाग का काश्तकार है जो कि न्याय व वादी के अधिकार के तहत वादी अपने नाम से खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। उक्त आराजी की वर्तमान स्थिति अनुसार खाता सं. 23 जमाबंदी सं. 2069–72 किता 5 रकबा 28–17 बीघा आराजी वादी के नाम स्थित है। ग्राम सामिया की हाल जमाबंदी स. 2069–72 के खाता संख्या 23 किता 4 रकबा 28–17 बीघा है। यह आराजी प्रतिवादी के नाम स्थित हैं। जमाबंदी में दर्ज खातेदार राधेश्याम बिना कोई विधिक उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है। यह कि वाद हेतुक दिनांक 20.04.2019 को उस दिन उदित हुआ जब वादी के खाते कब्जे काश्त की वादपत्र के चरण कम 1 में वर्णित 48–10 बीघा जमीन में से आधी हिस्से की जमीन प्रतिवादी अपनी होना बताकर अवैधानिक कब्जा करने की चेष्ठा की हैं। यह कि तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ को भू धारक होने के कारण तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों करने ऑथोरिटी होने के कारण पक्षकार बनाया है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणक्षेत्र में है। यह कि कानूनन उचित न्याय शुल्क 3/– रूपये पर प्रस्तुत हैं। यह कि वाद अवधि मध्य प्रस्तुत हैं। अतः वाद वादी दावा करता है कि वादपत्र के चरण कम 1 की के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदनुसार अलग खाता व लगान का अंकन किया जावें अन्य न्यायोचित सहायता भी दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद के पेरा न. 1 में वर्णित भूमि कुल 5 किता कुल रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि नेनालाल व लक्ष्मीनारायण पिस. हीरालाल की संयुक्त हिन्दु परिवार की शामलाती भूमि रही है। विस्तृत विवरण विशेष आपत्तियों में अंकित हैं, उक्त भूमि अकेले नेनालाल के गलत खातेदारी मे दर्ज हो गई थी। जो प्रकरण संख्या 511/1999 सहायक कल[illegible]वाड़ के निर्णय व डिकी से प्रतिवादी के खातेदा ... के निर्णय व ड़िकी की पुष्टि माननी ... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय से हो चुकी है। यह कि वाद के पेरा न. 2 मे भी वाद के पेरा न. 1 की ही भूमि दर्ज है, जो वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के पिता की संयुक्त शामलाती भूमि रही है। उक्त जमाबन्दी मे वादी का नाम गलत दर्ज हो रहा है। जिसमे से खसरा न. 307 वादी ने कलावतीबाई को बेचान कर दिया है। यह कि वाद के पेरा न. 3 के जवाब मे लेख है कि वाद के पेरा न. 1 व 2 मे दर्ज भूमि वादी के पिता एवं उसके बाद वादी के नाम गलत दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी ने आराजी को धोखे से अपने नाम नहीं करवाई बल्कि वादी घनश्याम द्वारा सही तथ्यों को छिपा कर गलत बनावटी दावा उसी भूमि का उन्ही तथ्यों पर दोबारा दावा 18–19 साल बाद उसी न्यायालय मे उन्ही पक्षकारों या उनसे व्युत्पन पक्षकारों के खिलाफ दोबारा घोषणा खातेदारी का दावा धारा 11 सी.पी.सी. प्रागन्याय रेस ज्यूडीकेटा के तहत बाधित है, क्योकि इसी भूमि का वाद प्रकरण संख्या 511/1999 न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ द्वारा उनवान राधेश्याम, सत्येन्द्र कुमार बनाम नेनालाल वगेराह दिनांक 28.08.2000 को प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 10.01.2001 को अन्तिम डिकी हुई है, जिसकी पालना मे प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड मे खातेदार दर्ज चला आ रहा है, उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय कोटा में घनश्याम द्वारा की गई थी जो अपील संख्या 151/2001 व 171/2001 निर्णय दिनांक 28.06.2002 को अपीले खारीज होकर न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड के निर्णय व डिकी की पुष्टि की गई है। वाद के पैरा न. 3 में दर्ज समस्त विवरण गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी माननीय सहायक कलेक्टर न्यायालय के निर्णय व डिग्री से वैधानिक रूप से खातेदार दर्ज है। वादी स्वयं घनश्याम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28.06.2002 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी, जिसकी अपील का निर्णय माननीय खण्डपीठ राजस्व मण्डल अजमेर से अपील सारहीन होने से खारीज होकर अधिनस्थ न्यायालय आर.ए.ए. कोटा एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.08.2000 तथा अन्तिम डिकी दिनांक 10.01.2001 की पुष्टि राजस्व मण्डल [illegible] चुकी है। इस कारण उसी भूमि का उन्ही पक्षकारों के बीच विवाद घोषणा का वाद धारा 11 सिविल प्रकियां सहीता के तहत रैसज्यूडीकेटा से बाधित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। वाद के पेरा न. 3 के अ. में वर्णित भूमि वादी के नाम होना आशिक सही है। पेरा न. 3 अ. मे वर्णित खाता सं. 23 की भूमि खसरा नं. 307 रकबा 18 बिस्वा भूमि को वादी द्वारा केता कलावतीबाई पत्नि चुन्नीलाल धाकड़ को बेचान कर चुका है और उसी भूमि का वाद लाया है। उक्त खातेदार को पक्षकार बनाये बिना दावा घोषणा चल्ने योग्य नहीं है व पेरा ब. मे वर्णित भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज होना सही है। राधेश्याम प्रतिवादी सत्येन्द्र कुमार का सगा भाई था, जिसके उत्तराधिकारी भी प्रतिवादी सत्येन्द्र कुमार व बहिने है। यह कि वाद का पेरा न. 4 के तथ्य बनावटी व मिथ्या दर्ज होने से अस्वीकार है। दिनांक 20.04. 2019 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है क्योकि उक्त भूमि का निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 28.08.2000 को प्राथमिक डिकी तथा दिनांक 10.01.2001 को अन्तिम डिकी हो चुका है, जिसकी जानकारी वादी को भली प्रकार से होकर वादी स्वयं ने राजस्व मण्डल में उसकी अपीले की थी जो निर्णय खण्डपीठ से पुष्टि होकर अन्तिम हो गई है तथा प्रकरण संख्या अपीलड़ी/टीए/4021/2022 व 4022/2002 राजस्व मण्डल खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 26.10.2018 की कोई भी अपील नहीं होने से उक्त निर्णय अन्तिम हो जाने से दुबारा उसी भूमि का अधिनस्थ न्यायालय मे घोषणा वाद धारा 11 सिविल प्रकियां संहिता के तहत रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने से प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है तथा वाद कारण के अभाव में भी दावा काबिल खारीज है। यह कि उक्त पेरा के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरा के तथ्य गलत है, अस्वीकार है उक्त भूमि का निर्णय इसी न्यायालय से दिनांक 28.08.2000 मे हो जाने से दुबारा वाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। यह कि वाद का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही रहा है। यह न्यायालय इस भूमि का निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 28.08.2000 व अन्तिम डिकी दिनांक 10.01.2001 को कर चुका है, जिस निर्णय की पुष्टि खण्ड पीठ राजस्व मण्डल से हो चुकी है। यह कि उक्त पेरा न. 8 गलत है, अस्वीकार है। यह कि पाच अवधि मध्य ह[illegible] वाद का निर्णय इसी न्यायालय से 18–19 [illegible] बाहर होकर चलने योग्य नहीं है। [illegible] है, अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9

यादी कोई सहायता पाने का पात्र नही है। विशेष आपत्तियां – यह कि वादी ने वाद सही एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर तथा पूर्व के निर्णयो के तथ्यों को छिपाकर कतई गलत मिथ्या, बनावटी तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो भारी कोस्ट पर खारीज योग्य है। वादी को दुबारा वाद लाने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। यह कि वादी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष वाद लेकर नहीं आया है, जिस कारण वाद चलने योग्य नही है। यह कि वाद ग्रस्त भूमि वाके सामिया तहसील सुनेल के खाता सं. 184 की आराजी खसरा न. 350 रकबा 4.4136 हैक्टेयर, खसरा न. 491 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा न. 55 रकबा 0.9611 हैक्टेयर, खसरा न. 558 रकबा 1.4923 हैक्टेयर कुल 4 किता कुल रकबा 7.2970 हैक्टेयर राधेश्याम के वारिसान व प्रतिवादी सत्येन्द्र कुमार के कब्जे एवं खातेदारी मे न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ के प्रकरण सं. 511/1999 मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28.08.2000 एवं फाईनल डिकी दिनांक 10.01.2001 की अनुपालना में दर्ज चली आ रही है, जिसकी अपील वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा न्यायालय में पेश की थी, जिसकी अपील संख्या 151/2001 व 171/2001 के निर्णय व डिकी दिनांक 28.01.2002 में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ के निर्णय व डिकी की पुष्टि कर वादी की अपीले खारीज की थी तथा वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के उक्त निर्णयों के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे दो अपील संख्या 4021/2002 व 4022/2002 पेश की थी जो राजस्व मण्ड़ल खण्ड़ पीठ द्वारा वादी की उक्त अपीले दिनांक 26.10.2018 को खारीज कर अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की पुष्टि पक्षकारो की जा चुकी है, जिस कारण उसी भूमि का उन्ही पक्षकारों उनसे उत्पन्न हुए के खिलाफ दुबारा दावा धारा 11 सी.पी.सी रेस ज्यूडिकेटा से बाधित होकर प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। यह कि इसी विवादीत भूमि का वाद इन्ही पक्षकारों के बीच प्रकरण संख्या 511/1999 बउनवान राधेश्याम, सत्येन्द्र कुमार, सुन्दर बाई बनाम घनश्याम व राजस्थान राज्य धारा 88, 53, आर. टी.एक्ट का सहायक कलेक्टर झालावाड़ से दिनांक 28.08.2000 को प्राथमिक डिकी होकर तहसीलदार [illegible] प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिकी दिनांक 10[illegible] व डिकी की पुष्टि राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible] 28.06.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(10)

2002 से व माननीय राजस्व मण्डल खण्डपीठ अजमेर से दिनांक 26.10.2018 को वादी की अपील सारहीन होने से खारीज होकर अधिनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2002 एवं सहायक कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.08.2000 तथा अन्तिम डिकी दिनांक 10.01. 2001 की पुष्टि हो जाने के बाद दुबारा उसी भूमि का वाद इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है, उक्त वाद रेस ज्युडिकेटा से बाधित है वाद भारी कोस्ट पर खारीज योग्य है। यह कि उक्त भूमि का वादी के पिता नेनालाल द्वारा भी प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण के खिलाफ धारा 188 आर. टी. एक्ट का प्रकरण संख्या 46/123/65 प्रस्तुत किया था, जिसे सहायक कलेक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 26.12.1967 को निर्णय पारित किया गया, जिसमे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से उक्त भूमि को पक्षकारान की संयुक्त हिन्दु परिवार की शामलाती भूमि मानकर प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण का हक हिस्सा निहित होना माना है, जिस कारण भी उसी भूमि का दोबारा वाद घोषणा इस न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार नहीं रहा है ओर उक्त वाद मियाद बाहर हो चुका है। यह कि उक्त भूमि का घोषणा खातेदारी वाद सहायक कलेक्टर झालावाड़ व आर.ए.ए. के निर्णय की राजस्व वाद के शिर्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की पुष्टि का निर्णय दिनांक 26.10.2018 को पारित हो जाने से उक्त वाद भारी कोस्ट पर खारीज योग्य है। यह कि उक्त वाद के खातेदार राधेश्याम के वारिसान 1. भाई सत्येन्द्र कुमार व बहीने, 1. सजनबाई, 2. छगनबाई फोत 2. 2/1. रमेशचन्द, 2/2. चन्द्रशेखर, 2/3. ललीत कुमार, 2/4. मंगला, 2/5. शारदा, 3. सन्तोषबाई, 4. चन्द्रकांता पुत्रीयां हीरालाल को पक्षकार नहीं बनाने से भी वाद चलने योग्य नहीं है। यह कि वादी स्वयं द्वारा उक्त वाद में वर्णित भूमि खसरा न. 307 का बेचान कलावतीबाई पत्नी चुन्नीलाल धाकड़ को कर देने पर भी उसे पक्षकार नही बनाने से भी घोषणा वाद चलने योग्य नही है। यह कि उक्त भूमि के विवाद [illegible] उसके पिता के समय से ही रही है, जिसकी अ[illegible]ही तथ्यों को छिपाकर उक्त भूमि के [illegible] को

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

अन्तिम डिक्री दिनांक 10.01.2001 को होकर उक्त निर्णय की पुष्टि न्यायालय आर.ए.ए. व माननीय खण्डपीठ राजस्व अजमेर के निर्णयो से हो चुकी है, फिर भी वादी द्वारा बार–बार झूठे तथ्यो पर दुरारा वाद प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से तंग परेशान व नुकसान कारित करने की गरज से झूठा बनावटी वाद पेश किया है, जिस कारण प्रतिवादी विशेष हर्जा खर्चा 30,000/– रूपये वादी से पाने का पात्र है तथा वाद भारी कोस्ट पर प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। अतः जवाब दावा मय विशेष आपत्तियों के पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाकर विशेष हर्जा खर्चा 30,000/– रूपये प्रतिवादी न. 1 को वादी से दिलाने व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी न. 1 को दिलाने की कृपा करें।

3. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु दावे एवं जवाब दावा के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दू कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि ग्राम सामिया हल्का गादिया की वादग्रस्त आराजी ख०नं० 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48–10 बीघा वादी के खाते की आराजी थी, जो जरिए फौती नामा० सं. 14 दिनांक 14.06.1972 से अपने पिता नैनालाल पुत्र हीरालाल ब्राहम्ण से विरासत मे प्राप्त हुई थी।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 2–आया कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिलकर वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग का खातेदार बन गया है, जबकि प्रतिवादी क्रम 1 का इससे सरोकार नहीं था। अतः प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/2 पर भी खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 3–आया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2 भाग की खातेदारी न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़ के प्रकरण सं. 511/1999 में दिये गये निर्णय व प्रा० डिक्री दिनांक 28.08.2000 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 10.01.2001 से प्राप्त हुई थी।

[illegible] तिवादी क्रम 1

तनकी नं. 4–आया कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 भाग [illegible] यायाल सहायक कलक्टर झालावाड़ के आदेश व डिक्री [illegible] द्वारा माननीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

RAA KOTA अपील की, जो निर्णय दिनांक 28.01.2002 से खारिज कर दी गई। माननीय RAA KOTA के उक्त निर्णय की वादी ने अपील म० राजस्व मंडल अजमेर में की थी, जो दिनांक 26.10.2018 को खारिज कर सहायक कलक्टर झालावाड़ के निर्णय की पुष्टी की।

जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं. 5–आया कि वादी द्वारा पेश हस्तगत प्रकरण सं० 22/2019 एवं पूर्ववर्ती प्रकरण सं0 511/1999 के पक्षकारान, वाद की विषय वस्तु एवं अनुतोष समान होने से धारा–11 सीपीसी (रेस–ज्यूडिकेता) के अधीन यह वाद पोषणीय नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1

4. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सामिया के खाता सं. 23, 137, 177 की जमाबंदी सं. 2069–72 की प्रमाणित प्रति, ग्राम सामिया के खाता सं. 36, 37 की जमाबंदी सं. 2015–18 की प्रमाणित प्रति, ग्राम सामिया के खाता सं. 37 की जमाबंदी सं. 2022–25 की प्रमाणित प्रति, प्रमाण पत्र दिनांक 05.10.1998 की छायाप्रति, ग्राम सामिया के खाता सं. 25 की जमाबंदी सं. 2049–52 की प्रमाणित प्रति, खसरा नक्शा दिनांक 21.09.1998 की छायाप्रति, मौखिक साक्ष्य में घनश्याम पि. नेनालाल का शपथ पत्र एवं न्यायिक दृष्टांत 2016(1) आर.आर.टी. 485 सिटी मुन्सिपल काउंसिल भल्की बनाम गुरूप्पा डी व अन्य पेश की।

5. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सामिया के खाता सं. 184 जमाबंदी सं. 2073–76, न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड के प्रकरण सं. 511/99 की आदेशिका, निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.08.2000 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 10.01.2001, दावा राधेश्याम बनाम घनश्याम वगै. दिनांक 13.01.1999, सहायक कलक्टर झालावाड का प्रकरण सं. 46/123/65 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.1967, बयान गवाह कन्हीराम, राधेश्याम, बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा, भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible] प्रकरण सं. 151/2001 व 171/2001 का [illegible] मण्डल अजमेर का प्रकरण सं. [illegible] निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

डिक्री दिनांक 26.10.2018 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। न्यायिक दृष्टांत 2024(1) आर.आर.टी. 167 रामलाल बनाम नरसिंह व अन्य, 2024(1) आर. आर.टी. 170 दुर्गाराम बनाम भंवरीबाई व अन्य पेश की।

6. आदेश 14 नियम 1(4) सीपीसी के अनुसार किसी प्रकरण में दो प्रकार की तनकियां हो सकती है – (अ) तथ्य आधारित तनकी एवं (ब) विधि आधारित तनकी। हस्तगत प्रकरण में कायम की गई तनकी सं. 1 से 4 तथ्य आधारित तनकियात है जबकि तनकी नं. 5 विधि आधारित तनकी है। आदेश 14 नियम 2 उपनियम 2 सीपीसी के अनुसार जहां एक ही प्रकरण में तथ्य आधारित तनकी एवं विधि आधारित तनकी दोनो प्रकार की तनकियां कायम की गई है और न्यायालय का विचार है कि उस सम्पूर्ण प्रकरण को या उसके किसी भाग को विधि आधारित तनकी के निर्धारण से निस्तारित किया जा सकता है तो न्यायालय पहले विधि आधारित तनकी को निर्णित कर सकता है और अन्य तनकियात के सेटलमेंट को तब तक स्थगित कर सकता है। **हस्तगत प्रकरण में तनकी नं. 5 रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त अर्थात धारा 11 सीपीसी से संबंधित विधि का प्रश्न है जिसका निर्धारण करने से सम्पूर्ण प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण हो सकता है। अतः हम तनकी नं. 5 में निहित विधि के प्रश्न को पहले निर्धारित करना न्यायोचित समझते है।** यहां आदेश 14 नियम 2 उपनियम 2 सीपीसी के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है –

<u>O14R 2</u>- (2) Where issues both of law and of fact arise in the same suit, and the Court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only, it may try that issue first if that issue relates to-

(a) the jurisdiction of the Court, or

(b) a bar to the suit created by any law for the time being in-force and for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of the other issues until after that issue has been determined, and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(14)

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की तनकी नं. 5 पर बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली, संबंधित विधि के प्रावधानों एवं पेश न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकी नं. 5 का निर्णय निम्नानुसार है –

<u>तनकी नं. 5</u> – "आया कि वादी द्वारा पेश हस्तगत प्रकरण सं० 22/2019 एवं पूर्ववर्ती प्रकरण सं0 511/1999 के पक्षकारान, वाद की विषय वस्तु एवं अनुतोष समान होने से धारा–11 सीपीसी (रेस–ज्यूडिकेटा) के अधीन यह वाद पोषणीय नहीं है"। तनकी नं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 के जिम्मे था।

अभिभाषक प्रतिवादी 1 ने बहस के दौरान जवाब पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण सं. 22/2019 घनश्याम बनाम सत्येन्द्र कुमार की ग्राम सामिया की वादग्रस्त आराजी पुराना खाता सं. 23 ख.नं. 307, 350, 354, 558 व 559 कुल किता 5 कुल रकबा 48–10 बीघा को लेकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य वाद सं. 511/1999 माननीय सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा दिनांक 28.08.2000 को निर्णित किया जा चुका है जिसमें वादीगण राधेश्याम, सत्येन्द्र कुमार पिसर लक्ष्मीनारायण व सुन्दरबाई बेवा लक्ष्मीनारायण को वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 48–10 बीघा के हिस्सा 1/2 पर तथा प्रतिवादी घनशम को शेष हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया गया था, जिसकी अपील सं. 151/2001 व 171/2001 वादी/अपीलांट घनश्याम द्वारा माननीय न्यायालय आर.ए.ए. कोटा में की गई थी जिसे माननीय आर.ए.ए. कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.06.2002 द्वारा खारीज किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा जारी किये गये निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया था। वादी घनश्याम द्वारा माननीय आर.ए.ए.कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 4021/2002/झालवाड एवं 4022/2002/झालावाड पेश की गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2018 से खारीज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय [illegible] कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.[illegible] [illegible] झालावाड द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री [illegible] डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 10.01.2001 की पुष्टि की गई थी। आगे तर्क किया गया कि माननीय आर.ए.ए. कोटा एवं माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष वादी/अपीलांट घनश्याम पि. नैनालाल एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट राधेश्याम व सत्येन्द्र कुमार पि. लक्ष्मीनारायण, सुन्दरबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व राज. सरकार पक्षकार थे। सुन्दरबाई बेवा लक्ष्मीनारायण फोत हो चुकी है।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादी घनश्याम के पिता नैनालाल ने ग्राम सामिया की वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 48–10 बीघा को लेकर एक वाद सं. 40/123/65 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1965 में सहायक कलक्टर झालावाड़ के समक्ष प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध बेदखली हेतु पेश किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.12.1967 से खारीज किया जाकर हिस्सा 1/2 पर लक्ष्मीनारायण को खातेदार मानकर कब्जे काश्त को यथावत रखने के आदेश दिए थे।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादी घनश्याम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की माननीय राज. उच्च न्यायालय में अपील नहीं करके तथ्यों को छुपाकर एवं झूंठे शपथपत्र के आधार पर माननीय न्यायालय में पुनः उसी वादग्रस्त आराजी को लेकर नया दावा सं. 22/2019 पेश किया गया है जो धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के विरूद्ध होने से ना केवल इसी स्तर पर खारीज योग्य है बल्कि धारा 193 व 340 आईपीसी के अधीन सजा दिए जाने योग्य है। एक बार किसी द्वितीय अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया तो धारा 100 सीपीसी के अधीन उसकी केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। किसी अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा किये गये साक्ष्य का विवेचन केवल उच्चत्तर अपीलीय न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय को ऐसी साक्ष्य को विवेचन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद धारा 100 सीपीसी के प्रावधानो के विरूद्ध होने से इसी स्तर पर खारीज योग्य है।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 [illegible] कि वादी घनश्याम द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक [illegible] को अपील खारीज होने के बाद दिनांक 30.05.2019 को धारा 11 सीपीसी के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

16

यह दावा पेश कर दिया गया है। वादी घनश्याम स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आकर झूंठे शपथपत्र के आधार पर आया है जिसमें ना केवल आपराधिक कृत्य किया है बल्कि न्यायालय की अवमानना भी की है। अतः वादी का वाद एक लाख रूप्ये के भारी जुर्माने के साथ खारीज किया जावे।

8. अभिभाषक वादी ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण सं. 511/1999 में न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा प्रतिवादी घनश्याम के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था जिसकी प्रतिवादी घनश्याम द्वारा न्यायालय आर.ए.ए.कोटा में अपील की थी जिसे न्यायालय द्वारा अपीलांट घनश्याम के तथ्यों एवं दस्तावेजो को ध्यान में रखे बिना एकतरफा खारीज कर दिया था जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलांट घनश्याम को सही तरीके से सुने बिना एवं रिकार्ड को देखे बिना निर्णिय दिनांक 26.10.2018 से अपील को खारीज कर दिया गया है। जब वादी घनश्याम को अपीलीय न्यायालयो ने सही तरीके से नही सुना तो वादी ने अपने अधिकारो के संरक्षण के लिए इस न्यायालय मे नया दावा पेश किया है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि दोनो प्रकरणों में पक्षकार समान नहीं है। धारा 11 सीपीसी के प्रावधान तभी लागू होते है जब पूर्ववर्ती प्रकरण को तनकी कायम किया जाकर साक्ष्य लेकर निर्णित किया गया हो। पूर्ववर्ती प्रकरण सं.. 511/1999 को सहायक कलक्टर झालावाड के न्यायालय द्वारा गुणवगुण पर निर्णित नहीं करके एकपक्षीय निर्णिय किया था। अतः धारा 11 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नही होते है।

अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि जब प्रथम व द्वितीय अपील को अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया हो तो धारा 100 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 11 सीपीसी व रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होने से तनकी नं. 5 प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध निर्णित की जावे।

9. तनकी नं. 5 पर बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] किया [illegible]। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(12)

धारा 11 सीपीसी के अनुसार कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक विषय उन्ही पक्षकारो के बीच या उन पक्षकारो के बीच, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है और जो उसी शीर्षक के अधीन मुकदमा कर रहे हैं, जो किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक रहा हो, ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का विचारण करने में सक्षम न्यायालय है जिसमें ऐसा विवाद्यक विषय वाद में उठाया गया हो और जिस पर ऐसे न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर अंतिम रूप से निर्णय कर दिया गया हो। धारा 11 सीपीसी यानि रेसज्युडिकेटा के सिद्वान्त का मूल उद्देश्य किसी न्यायालय द्वारा एक बार अभिनिर्धारित किये गये विषय पर पुनः निर्णय नही किया जाना है ताकि न्याय के विनिश्चय को सही व अंकित बनाकर मुकदमेंबाजी का अंत हो सके। यह स्थापित सिद्वान्त है कि न्यायिक निर्णयों में एकरूपता होनी चाहिए ताकि पक्षकारो के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी को रोककर न्यायिक संसाधनो की बचत की जा सके और जनता में न्यायिक प्रकिया के प्रति विश्वास को बनाया रखा जा सके। पूर्व न्याय का सिद्वान्त यानि रेसज्युडिकेटा का सिद्वान्त एक अंतराष्ट्रीय सिद्वान्त है जिसे विश्व के लोकतांत्रिक देशो द्वारा अपने सिविल एवं आपराधिक कानूनो में शामिल किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में रेसज्युडिकेटा के सिद्वान्त का सुन्दर विवेचन करते हुए कहा है कि "प्राक् न्याय का सिद्वान्त न्यायिक निर्णयों को अंतिमतः देने की आवश्यकता पर आधारित है। यह कहता है कि किसी न्यायालय द्वारा एक बार निश्चित किये गये विषय पर पुनः निर्णय नहीं किया जावेगा। मुख्य रू‍प से यह सिद्वान्त पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती मुकदमोंबाजी के बीच लागू होता है। जब एक विषय,, चाहे गये तथ्यगत प्रश्नो पर हो अथवा विधिगत प्रश्नो पर, एक वाद या कार्यवाही में दो पक्षकारो के मध्य निर्णित हुआ है और वह निर्णय, क्योकि उच्चतर न्यायालय में या तो अपील नहीं की गई थी या अपील रद्द कर दी गई थी– अंतिम है तो उन्ही पक्षकारो के मध्य भविष्य में वाद या कार्यवाही में किसी भी पक्षकार को उस विषय को पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी। रेसज्युडिकेटा का यही सिद्वान्त पक्षो के संबंध में सिविल प्रकिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(18)

की संहिता की धारा 11 में समाविष्ट है परन्तु जहां धारा 11 लागू नहीं होती वहां भी मुकदमेंबाजियों में अंतिमता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए न्यायालयों के द्वारा इस सिद्धान्त को लागू किया जाता है और इसका यह परिणाम है कि प्रारम्भिक न्यायालय और साथ साथ उच्चतर न्यायालय किसी भविष्य की मुकदमेंबाजी में इस आधार पर अग्रसर होंगे कि पूर्ववर्ती निर्णय सही था"।

10. प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व धारा–11 सीपीसी के प्रावधान के उद्देश्य को समझना प्रासंगिक है। इस संदर्भ मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 636/1975 उनवान Lal Chand (Dead) By L.Rs. & Ors vs Radha Kishan में दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के उद्देश्य के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है कि–

> *"Section 11, it is long since settled, is not exhaustive and the principle which motivates that section can be extended to cases which do not fall strictly within the letter of the law. The issues involved in the two proceedings are identical, those issues arise as between the same parties and thirdly, the issue now sought to be raised was decided finally by a competent quasi-judicial tribunal. The principle of res judicata is conceived in the larger public interest which requires that all litigation must, sooner than later, come to an end. The principle is also founded on equity, justice and good conscience which require that a party which has once succeeded on an issue should not be permitted to be harassed by a multiplicity of proceedings involving determination of the same issue".*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8321/2010 उनवान Alka Gupta vs Narender Kumar Gupta में दिनांक 27.09.2010 में प्रतिपादित किया है कि–

> *"14. To define and clarify the principle contained in Section 11 of the Code, eight Explanations have been provided. Explanation I states that the expression 'former suit' refers to a suit which had been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. Explanation II states that the competence of a court shall be determined irrespective of whether any provisions as to a right of appeal from the decision of such court. Explanation III states that the matter directly and substantially in issue in the former suit, must have been alleged by one party or either denied or admitted expressly or impliedly by the other party. Explanation IV provides that any matter which might and ought to have been made a ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit".*

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7653–7654/1997 उनवान V. Rajeshwari vs T.C. Saravanabava में प्रतिपादित किया है कि

> *"The rule of res judicata does not strike at the root of the jurisdiction of the court trying the subsequent suit. It is a rule of estoppel by judgment based on the public policy that there should be a finality to litigation and no one should be vexed twice for the same cause".*

13. इसी प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील 7691–7694/2022 उनवान S. Ramachandra Rao vs S. Nagabhushana Rao में प्रतिपादित किया है कि–

> *"9.1. The doctrine of res judicata, having a very ancient history, embodies a rule of universal law*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

and is a sum total of public policy reflected in various maxims like 'res judicata pro veritate occipitur', which means that a judicial decision must be accepted as correct; and 'nemo debet bis vexari pro una et eadem causa', which means that no man should be vexed twice for the same cause"

14. पूर्वन्याय का सिद्धान्त पूर्ण न्याय का नियम नहीं है बल्कि सिर्फ सुविधा का नियम है। पूर्वन्याय/प्राक्न्याय के सिद्धान्त को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा होना आवश्यक है – (अ) परवर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः वाद का विषय वही विषय होना चाहिए जो या वास्तविक रूप में या अन्वयात्रिक रूप में **(Actually or constructevely)** पूर्ववर्ती वाद में था, (ब) पूर्ववर्त वाद का उन्ही पक्षकारो के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, होना चाहिए। (स) यथापूर्वोक्त पक्षकारो का पूर्ववर्ती वाद में उसी हक व अनुतोष के अधीन दावा करना (द) पूर्ववर्ती वाद को निर्णित करने वाला न्यायालय पश्चावर्ती वाद को निर्णित करने में सक्षम हो एवं (य) पश्चातवर्ती वाद में पत्यक्षतः व सारतः वादग्रस्त विषय का न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद में अंतिम रूप से निर्णय कर दिया गया हो।

15. यहां सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रावधान के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक तथ्य व कारक के बारे में विस्तार से समझना प्रासंगिक है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8321/2010 उनवान Alka Gupta vs Narender Kumar Gupta में दिनांक 27.09.2010 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रावधान के आवश्यक तत्व/आधार/अवयव (Features/Essential Elements) के संबंध मे विवेचन करते हुए प्रतिपादित किया है कि –

"Section 11 of the Code, on an analysis requires the following essential requirements to be fulfilled to apply the bar of res judicata to any suit or issue. (i) The matter must be directly and substantially in issue in the former suit and in the later suit.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(21)

(ii) The prior suit should be between the same parties or persons claiming under them. (iii) Parties should have litigated under the same title in the earlier suit. (iv) The matter in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided in the first suit. (v) The court trying the former suit must have been competent to try particular issue in question".

16. धारा 11 के प्रावधानों संदर्भ में हस्तगत प्रकरण संख्या 22/2019 घनश्याम बनाम सतेन्द्रकुमार तथा इस न्यायालय व माननीय आरएए व माननीय राजस्व मण्डल से पूर्व में निर्णित पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 511/1999 राधेश्याम व अन्य बनाम घनश्याम तथा अन्य प्रकरण संख्या 46/123/1965 नेनालाल बनाम लक्ष्मीनारायण की पत्रावलीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि:-

<u>(क) पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद में विवाद की विषयवस्तु प्रत्यक्षतः और सारतः एक समान होना</u> – हस्तगत प्रकरण संख्या 22/2019 घनश्याम बनाम सतेन्द्रकुमार तथा इस न्यायालय व माननीय आरएए व माननीय राजस्व मण्डल से पूर्व में निर्णित पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 511/1999 राधेश्याम व अन्य बनाम घनश्याम तथा अन्य प्रकरण संख्या 46/123/1965 नेनालाल बनाम लक्ष्मीनारायण की पत्रावलीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों प्रकरणों में विवाद की विषयवस्तु ग्राम सामीया पटवार हल्का हाल तहसील सुनेल की आराजी मूल खसरा नं0 307 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं 350 रकबा 33–19 बिघा, खसरा नं0 354 रकबा 1–15 बीघा, खसरा न0 558 रकबा 11–16 बीघा व खसरा नं 559 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 48–10 बीघा हिस्सा 1/2 रही है। सामीया निवासी मृतक हीरालाल जाति ब्राहम्मण के छोटे पुत्र–लक्ष्मीनारायण के वारिसान सतेन्द्र कुमार व अन्य ने [illegible] नेनालाल के वारिसान घनश्याम के विरूद्ध हिस्सा 1/2 [illegible] की घोषणा करा कर खाता विभाजन [illegible] तत्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(22)

क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़ द्वारा निर्णित किया गया और निर्णय की पालना में लक्ष्मीनारायण के वारिसान हिस्सा 1/2 पर खातेदार दर्ज होकर खाता विभाजन से उनके हिस्से रकबा 24–05 बीघा पृथक से खाते दर्ज हो गयी थी। प्रकरण सं0 511/1999 में न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2000 व 10.01.2001 की हाल प्रकरण के वादी घनश्याम द्वारा माननीय न्यायालय आरएए कोटा के समक्ष अपील सं0 151/2001 व 171/2001 घनश्याम बनाम राधेश्याम व अन्य दायर की गई थी जिन्हे निर्णय दिनांक 28.06.2002 द्वारा खारीज किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़ द्वारा जारी किये गये निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया था। वादी घनश्याम द्वारा माननीय आर.ए.ए.कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 4021/2002/झालावाड़ एवं 4022/2002/झालावाड़ पेश की गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2018 से खारीज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय आर.ए.ए. कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2002 एवं सहायक कलक्टर झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.08.2000 व फाईनल डिक्री दिनांक 10.01.2001 की पुष्टि की गई थी। हस्तगत प्रकरण में वादी घनश्याम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं0 511/1999 में दिये गये निर्णय व डिक्री 28.08.2000 व 10.01.2001 की पालना में प्रतिवादी सतेन्द्र कुमार व अन्य के खाते दर्ज हुई हिस्सा 1/2 की 24–05 बीघा भूमि पर पुनः यह नया वाद सं0 22/2019 पेश कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादी द्वारा इसी वादग्रस्त आराजी को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड़, न्यायालय आरएए कोटा व न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पूर्व में निर्णित प्रकरण के तथ्यों को छुपाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर नया वाद पेश किया है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है और इसी लिए यह वाद खारिज योग्य प्रतित होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के State of Uttar Pradesh vs Nawab Hussain 1977 मामले में प्रतिपादित किया गया कि

"The doctrine of Res Judicata is not restricted to issues directly and substantially

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

adjudicated in prior proceedings but also encompasses matters that could have been and ought to have been raised in the earlier litigation".

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने Mavelikkara Ex-servicemen's Multipurpose Co-operative Society vs Parvathy Amma Rajamma मामले में प्रतिपादित किया है कि

> *"The idea of identity of subject matter under Res Judicata should not be restricted to a physical sense but should also include a judicial meaning. This indicates that subject issue of the dispute is not just the same physical thing or property but also the legal rights and claims linked with that subject matter".*

इसी प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Muneesh kumar Agnihotri vs Lalli Prasad Gupta मामले में प्रतिपादित किया है कि –

> *"The theory of Res Judicata applies only where an issue was directly and substantially in question in the prior action between the same parties or persons claiming under same titles".*

अतः उपरोक्त विवेचन से साबित है कि पूर्ववर्ती वाद सं0 511/1999 एवं पश्चात्वर्ती वाद संख्या 22/2019 में विवाद की विषयवस्तु प्रत्यक्षतः और सारतः एक समान है।

<u>(ख) वाद का समान पक्षकारों या उनके वारिसानों के मध्य होनाः–</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के समक्ष लम्बित हस्तगत पश्चातवर्ती वाद संख्या 22/2019 घनश्याम बनाम सतेन्द्रकुमार में पक्षकार है– घनश्याम पिता नेनालाल, सतेन्द्रकुमार पिता लक्ष्[illegible] व राजस्थान सरकार है जबकि पूर्ववर्ती वाद सं. [illegible]/1999 राधेश्या[illegible] घनश्याम वगैराह में पक्षकार है– घनश्याम [illegible] व राधेश्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पिता लक्ष्मीनारायण, सुन्दरबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व राजस्थान सरकार थे। सुन्दरबाई बेवा लक्ष्मीनारायण पूर्व मे ही फोत हो चुकी है जिसकी जगह राधेश्याम व सतेन्द्रकुमार पूर्व मे ही खातेदार बन चुके है। बाद में खातेदार राधेश्याम पिता लक्ष्मीनारायण भी बिना विधिक वारिसान फोत हो चुका है और फोती इन्तकाल से इसके स्थान पर भाई सतेन्द्र कुमार व बहनों का नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। ये सभी बहने पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 511/1999 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश द्वितीय अपील के दौरान पक्षकार बन गये थे लेकिन वादी द्वारा जानबूझकर हस्तगत प्रकरण में सह खातेदारान/राधेश्याम की बहनों को आवश्यक पक्षकार होने पर भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है जबकी खातेदारी सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर चाही गयी है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि मूलतः दोनों प्रकरणों में एक ही वादग्रस्त भूमि पर अनुतोष चाहने वाले पक्षकार समान है।

<u>(घ) दोनों वादों में चाहे गये अनुतोष व हक समान हो:–</u> निर्णित पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 511/1999 राधेश्याम व अन्य बनाम घनश्याम में ग्राम सामीया पटवार हल्का हाल तहसील सुनेल की आराजी मूल खसरा नं0 307 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं.350 रकबा 33–19 बीघा, खसरा नं0 354 रकबा 1–15 बीघा, खसरा न0 558 रकबा 11–16 बीघा व खसरा नं 559 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 48–10 बीघा के हिस्सा 1/2 अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्यः अनुतोष चाहा गया था जबकी हस्तगत नवीन प्रकरण सं0 22/2019 में पूर्ववर्ती प्रकरण सं0 511/1999 राधेश्याम व अन्य बनाम घनश्यान में सतेन्द्र कुमार व अन्य के पक्ष में खातेदारी घोषित हिस्से 1/2 पर ही पुनः अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट मुख्य अनुतोष चाहा गया है। अतः उपरोक्त पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती दोनो प्रकरणों में मुख्य अनुतोष एक समान है।

<u>(ङ) पूर्ववर्ती वाद को निर्णित करने वाला न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को निर्णित करने में सक्षम हो</u> :– पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 511/1999 राधेश्याम व अन्य बनाम घनश्याम में एवं पश्चातवर्ती वाद संख्या 22/2019 घनश्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

बनाम सतेन्द्रकुमार दोनो में ग्राम सामीया पटवार हल्का हाल तहसील सुनेल की आराजी मूल खसरा नं0 307 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं 350 रकबा 33–19 बिघा, खसरा नं0 354 रकबा 1–15 बीघा, खसरा नं0 558 रकबा 11–16 बीघा व खसरा नं 559 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 48–10 बीघा के हिस्सा 1/2 अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष एवं अन्य आनुषांगिक अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा को है। ग्राम सामीया पर पहले न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड का क्षेत्राधिकार था लेकिन वर्ष 2002 में इस न्यायालय के सृजन होने से वर्तमान में क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा का है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह न्यायालय दोनो प्रकरणों को निर्णित करने में सक्षम न्यायालय है।

(च) <u>सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित</u> – रेस ज्युडिकेटा के सिद्वान्त के लिए आवश्यक है कि पूर्ववर्ती प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हो। मामले में पूर्ववर्ती प्रकरण सं. 511/1999 राधेश्याम वगै. बनाम घनश्याम में सक्षम न्यायालय यानि सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा प्रतिवादी घनश्याम के अनुपस्थित रहने से साक्ष्य लेकर एकपक्षीय वहस सुनकर निर्णित किया था जिसके विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट घनश्याम द्वारा माननीय आर.ए.ए. कोटा के समक्ष अपील सं. 151/2001 व 171/2001 में उक्त विन्दू को भी उठाया गया था। माननीय आर.ए.ए. कोटा के निर्णय के ससम्मान अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुनकर, अपीलांट के साक्ष्य को ध्यान में रखकर, परीक्षण न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन करते हुए गुणावगुण पर अपील को निर्णित किया गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलांट घनश्याम की द्वितीय अपील में जारी निर्णय दिनांक 26.10.2018 के सम्मानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर खारीज की गई है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के पैरा नं. 9 का उद्धरण सुविधा के लिए निम्नानुसार है –

9. 'इसी प्रकार अधीनस्थ [illegible] न्यायालय [illegible]
अपील प्राधिकारी, भरतपुर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(36)

दोनों अपीलों में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Appeal and Res-judicata

17 प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रावधान के अपील के संबंध में अनुप्रयोजन के संबंध में विस्तार से समझना प्रासंगिक है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 802–803/1963 Sheodan Singh vs Smt. Daryao Kunwar में दिनांक 14.01.1966 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रावधान में निहित रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्धांत एवं पूर्ववर्ती निर्णय के विरूद्ध की गई अपील के मध्य संबंध के संबंध में विवेचन करते हुए दृष्टान्त प्रतिपादित किया कि

> (....)To hold otherwise would make res judicata impossible in cases where the trial court decides the matter on merits but th[illegible] appeal on some preliminary ground thu[illegible]nfir[illegible] the decision of the tria[illegible]on the me- ri[illegible]s well-settled that where a decree on the merits is

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

appealed from, the decision of the trial court loses its character of finality and what was once res judicata again becomes res subjudice and it is the decree of the appeal court which will then be res judicata. But if the contention of the appellant were to be accepted and it is held that if the appeal court dismisses the appeal on any preliminary ground, like limitation or default in printing, thus confirming into the trial court's decision given on merits, the appeal court's decree cannot be res judicata, the result would be that even though the decision of the trial court given on the merits is confirmed by the dismis- sal of the appeal on a preliminary ground there can never be res judicata. We cannot therefore accept the contention that even though the trial court may have decided the matter on the merits there can be no res judicata if the appeal court dismisses the appeal on a preliminary ground without going into the merits, even though the result of the dismissal of the appeal by the appeal court is confirmation of the decision of the trial court given on the merits. Acceptance of such a proposition will mean that all that the losing party has to do to destroy the effect of a decision given by the trial court on the merits is to file an appeal and let that appeal be dismissed on some preliminary ground, with the result that the decision given on the merits also becomes useless as between the parties. We 30 9 are therefore of opinion that where a decision is given on the merits by the trial court and the matter is taken in appeal and the appeal is dismissed on some preliminary ground, like limitation or default in printing, it must be held that such dismissal when it confirms the decision of the trial court on the merits itself am[illegible] the appeal being heard an[illegible] whatever may be the [illegible] for dismiss[illegible] the appeal.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

XXX

We may in this connection refer to Syed Ahmad Ali Khan Alavi v. Hinga Lalwhere it was held that where the appeal was struck off as having abated, the decision would operate as res judicata. If the view taken by the Lahore High Court is correct, vpykjke cuke ekykjke 2009@00009 fu.kZ; fnukad%&18-11-2024 Page 24 of 45 the result would be that there may be inconsistent decisions on the same issue with respect to the point involved in that case, namely, whether a certain lease had expired or not and the' very object of resjudicata is to avoid inconsistent decision. Where therefore the result of the dismissal or abetement of an appeal is to confirm the decision of the trial court on the merits such dismissal must amount to the appeal being heard and finally decided and would operate as resjudicata.

XXX

Where the trial court has decided two suits having common issues on the merits and there are two appeals therefrom and one of them is dismissed on some preliminary ground, like limitation or default in printing, with the result that the trial court's decision stands confirmed, the decision of the appeal court will be res judicata and the appeal court must be deemed to have heard and finally decided the matter. In such a case the result of the decision of the appeal court is to confirm the decision of the trial court given on merits, and if that is so, the decision of the appeal court will be resjudicata whatever may be the reason for the dismissal.

18. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार [illegible] प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निर्णित की जाती [illegible] वादी के पक्ष में [illegible] निर्णित होने से प्रकरण में अन्य वादबिंदु [illegible] को निर्णित किये जाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

19. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48–10 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से प्रतिबाधित होने से इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48–10 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से प्रतिबाधित होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

15/7/2025

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(30)

सिर्फी मुकदमा इकदाई

(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2019 दायर दिनांक: 30.05.2019

उनवान

1. घनश्याम आत्मज नैनालाल जाति ब्राह्मण नि.सामिया तहसील सुनेल

वादी

बनाम

1. सत्येन्द्रकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि.सामिया तहसील सुनेल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति –

वकील वादी – श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री सुभाष दांगी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X............ रूबरू..............X......

..................मिनजानित मुदई रूबरू ....

ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 307, 350, 354, 558, 559 किता 5 रकबा 48–10 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट रेस ज्युडिकेटा के सिद्वान्त से प्रतिबाधित होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

15/7/25

(दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(31)

मिज ....X.............. मुतालिक ....X.......... बाबत् खर्चा इस मुकदमे के सूद बशरह ..X....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुता0
महन्ताना वकील	मुता0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा,
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner